



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267360
CG-DL-E-04112025-267360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4836]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4836]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4991(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में रा.रा. -346 के कि.मी. 75.500 से कि.मी. 77.500 तहसील-कुरवाई तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरवाई को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में रा.रा. - 346 के कि.मी. 75.500 से कि.मी. 77.500 तहसील-कुरवाई के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: विदिशा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कुरवाई					
गांव का नाम: रेंहकलां					
1	74/1	निजी	सिंचित	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
2	75	निजी	सिंचित	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
3	76	निजी	सिंचित	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
गांव का नाम: मेहलुआ					
4	377/2/2/1/2	निजी	सिंचित	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
5	378/1/1	निजी	सिंचित	0.495 (हेक्टेयर)	0.495
6	379/1	सरकारी	चारागाह	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
7	379/2/1	निजी	आवासीय	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
8	379/2/2/1	निजी	आवासीय	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
9	379/2/2/2	निजी	व्यावसायिक	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
10	381/1/1	निजी	आवासीय	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
11	381/1/2/1/1/1	निजी	आवासीय	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
12	381/1/2/1/1/2	निजी	आवासीय	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
13	381/1/2/1/2	निजी	आवासीय	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
14	381/1/2/2	निजी	आवासीय	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
15	381/2	निजी	सिंचित	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
16	382	सरकारी	असिंचित	0.543 (हेक्टेयर)	0.543

17	383	सरकारी	असिंचित	0.408 (हेक्टेयर)	0.408
18	384	सरकारी	असिंचित	0.412 (हेक्टेयर)	0.412
19	385/1	निजी	सिंचित	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
20	387/2/1	निजी	सिंचित	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
21	388	निजी	सिंचित	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
22	415/1	निजी	सिंचित	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
23	416/1	निजी	सिंचित	0.355 (हेक्टेयर)	0.355
24	416/2	निजी	सिंचित	0.355 (हेक्टेयर)	0.355
25	417/1	निजी	सिंचित	0.523 (हेक्टेयर)	0.523
26	417/2	निजी	सिंचित	0.418 (हेक्टेयर)	0.418
27	417/3	निजी	सिंचित	0.523 (हेक्टेयर)	0.523
28	418	निजी	सिंचित	0.039 (हेक्टेयर)	0.039
29	441	निजी	सिंचित	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
30	601/2	निजी	सिंचित	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
31	602	निजी	सिंचित	0.063 (हेक्टेयर)	0.063
32	623	निजी	सिंचित	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
33	624	निजी	सिंचित	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
34	625/1	निजी	सिंचित	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
35	625/2/1	निजी	सिंचित	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
36	625/2/2	निजी	सिंचित	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
गांव का नाम: बिशनपुर					
37	58/1	निजी	सिंचित	0.129 (हेक्टेयर)	0.129
Total					6.526

[फा. सं. NHAI/VMT/41010/02/2021/LA-3a/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4991(E)—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of - 346 in the stretch of land from Km. 75.500 to Km. 77.500, Tehsil-Kurwai in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO (Revenue), Kurwai in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling - 346 in the stretch of land from Km. 75.500 to Km. 77.500, Tehsil-Kurwai in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: VIDISHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kurwai					
Village: Rehkalan					
1	74/1	Private	Irrigated	0.025 (Hectare)	0.025
2	75	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
3	76	Private	Irrigated	0.09 (Hectare)	0.09
Village: Mehlu					
4	377/2/2/1/2	Private	Irrigated	0.18 (Hectare)	0.18
5	378/1/1	Private	Irrigated	0.495 (Hectare)	0.495
6	379/1	Government	Charagah	0.29 (Hectare)	0.29
7	379/2/1	Private	Residential	0.064 (Hectare)	0.064
8	379/2/2/1	Private	Residential	0.064 (Hectare)	0.064
9	379/2/2/2	Private	Commercial	0.064 (Hectare)	0.064

10	381/1/1	Private	Residential	0.36 (Hectare)	0.36
11	381/1/2/1/1/1	Private	Residential	0.03 (Hectare)	0.03
12	381/1/2/1/1/2	Private	Residential	0.028 (Hectare)	0.028
13	381/1/2/1/2	Private	Residential	0.029 (Hectare)	0.029
14	381/1/2/2	Private	Residential	0.03 (Hectare)	0.03
15	381/2	Private	Irrigated	0.042 (Hectare)	0.042
16	382	Government	Unirrigated	0.543 (Hectare)	0.543
17	383	Government	Unirrigated	0.408 (Hectare)	0.408
18	384	Government	Unirrigated	0.412 (Hectare)	0.412
19	385/1	Private	Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
20	387/2/1	Private	Irrigated	0.1 (Hectare)	0.1
21	388	Private	Irrigated	0.041 (Hectare)	0.041
22	415/1	Private	Irrigated	0.047 (Hectare)	0.047
23	416/1	Private	Irrigated	0.355 (Hectare)	0.355
24	416/2	Private	Irrigated	0.355 (Hectare)	0.355
25	417/1	Private	Irrigated	0.523 (Hectare)	0.523
26	417/2	Private	Irrigated	0.418 (Hectare)	0.418
27	417/3	Private	Irrigated	0.523 (Hectare)	0.523
28	418	Private	Irrigated	0.039 (Hectare)	0.039
29	441	Private	Irrigated	0.044 (Hectare)	0.044
30	601/2	Private	Irrigated	0.015 (Hectare)	0.015
31	602	Private	Irrigated	0.063 (Hectare)	0.063
32	623	Private	Irrigated	0.065 (Hectare)	0.065
33	624	Private	Irrigated	0.41 (Hectare)	0.41
34	625/1	Private	Irrigated	0.045 (Hectare)	0.045
35	625/2/1	Private	Irrigated	0.045 (Hectare)	0.045
36	625/2/2	Private	Irrigated	0.045 (Hectare)	0.045
Village: Bishanpur					
37	58/1	Private	Irrigated	0.129 (Hectare)	0.129
Total					6.526

[F. No. NHAI/VMT/41010/02/2021/LA-3a/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director